


25/10/23

पशवली पेज उई। वरील प्रार्थी उफण
प्रार्थना पत्र ले संबंधित मूल प्रील
का निहतारण हो चुका है। कइ इस
प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही निया
जाना अपेक्षित नही है। कइ प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र खारीज निया जाता है।
पशवली कुल्ल सुमार होकर महर ले
कप होकर जारील दफतर हों।


(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

